माननीय न्यायधीश राजीव भल्ला के समक्ष

मेघ राज और अन्य- वादी/अपीलकर्ता

बनाम

मनफूल (मृतक) अपने एल.आर.एस. के माध्यम से

और अन्य-प्रतिवादी/प्रतिवादी

आर.एस.ए. ***1984*** की संख्या ***40***

28 जनवरी ***2008***

सिविल प्रक्रिया संहिता, ***1908***-पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, ***1953***-हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, ***1972*** धारा ***8(1)***(ए), ***12(3)*** और ***26***-हरियाणा अधिशेष का उपयोग और अन्य क्षेत्र योजना, ***1976*** पंजाब अधिनियम के तहत भूमि को अधिशेष घोषित किया गया - भूमि मालिक आदेश की शुद्धता को चुनौती देने में विफल रहा - आदेश को अंतिम रूप दिया गया - हरियाणा अधिनियम की धारा 12 (3) में प्रावधान है कि पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित कोई भी क्षेत्र, जो अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं है, राज्य सरकार में निहित माना जाएगा। - हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन यानी ***24*** जनवरी, ***1971*** को लंबित भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं - हरियाणा अधिनियम की धारा ***8 (1)*** (ए) के प्रावधान लागू नहीं - विहित प्राधिकारी आवंटन द्वारा आदेश पारित किया गया भूमि कानूनी और वैध है और अधिकार क्षेत्र की किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया, कि हरियाणा अधिनियम की धारा ***8(1)(***ए) को इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए नहीं माना जा सकता है कि पंजाब अधिनियम के तहत पहले से ही अधिशेष घोषित भूमि, धारा ***8(1)(***ए) के प्रावधानों से बच जाएगी। इसलिए, हरियाणा अधिनियम की धारा ***12(3)*** के तहत यह हरियाणा राज्य में निहित नहीं होगा। अधिनियम की धारा ***8(1)(***ए) और ***12(3)*** को संयुक्त रूप से पढ़ने पर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह धारा पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र की घोषणा करने वाले आदेशों पर लागू नहीं होती है, जो अंतिम रूप ले चुके हैं। धारा ***8(1)(***ए) इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करती है कि पंजाब अधिनियम के तहत समाप्त की गई कार्यवाही पूर्ववत या फिर से खोली जाएगी। धारा ***8(1)(***ए) ऐसे मामलों पर लागू हो सकती है जहां पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र की घोषणा की कार्यवाही हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन पर लंबित थी। अधिनियम की धारा ***8(1)(***ए) के प्रावधानों की कोई अन्य व्याख्या अनिवार्य रूप से पूर्वव्यापी कार्रवाई प्रदान करेगी। इसलिए, यह अनिवार्य रूप से मानना होगा कि धारा ***8(1)(***ए) अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही/आदेशों पर लागू नहीं होती है जो हरियाणा अधिनियम के लागू होने से पहले समाप्त/अंतिम हो चुके हैं।

(पैरा ***27)***

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि वाद भूमि हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन पर पहले से ही अधिशेष थी, यह हरियाणा अधिनियम की धारा ***12 (3)*** के तहत हरियाणा राज्य में निहित हो गई, जो यह प्रावधान करती है कि भूमि को पंजाब कानून के तहत अधिशेष घोषित किया गया है, जो नियत दिन से अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं हुआ है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि वाद भूमि पंजाब के संयुक्त राज्य में निहित नहीं थी, लेकिन चूंकि इसे पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था, यह हरियाणा अधिनियम के अधिनियमन के साथ, हरियाणा अधिनियम की धारा ***12(3)*** के अनुसार हरियाणा राज्य में निहित हो गई। अन्यथा भी, यह दोहराना आवश्यक होगा कि न तो राम रिख और न ही किसी भूस्वामी ने मुकदमे की भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले आदेश की सत्यता पर कभी सवाल उठाया।

*(*पैरा ***32)***

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि पंजाब अधिनियम के तहत वाद भूमि को अधिशेष घोषित करने का आदेश अंतिम रूप ले चुका था और वाद भूमि हरियाणा राज्य में निहित हो गई थी, यह उपयोगिता योजना के तहत आवंटन के लिए उपलब्ध हो गई थी। इसलिए, विहित प्राधिकारी भूमि आवंटित करने की कार्यवाही में, अपने अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश कानूनी और वैध है और इसमें कोई त्रुटि या अधिकार क्षेत्र नहीं है।

*(*पैरा ***33)***

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता पर सवाल उठाने वाले मुकदमे पर विचार करने का सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र हरियाणा अधिनियम की धारा ***26*** के प्रावधानों द्वारा वर्जित था।

*(*पैरा ***34)***

(1) आर.एस.ए. ***1984*** का ***40.***

अरुण जैन, अपीलकर्ताओं के वकील।

एस.एन. सैनी, अधिवक्ता। एस.के. जैन, अधिवक्ता.

(2) आर.एस.ए. ***1987*** का क्रमांक ***2712.***

एस.एन. सैनी, अपीलकर्ताओं के वकील

अरुण जैन, प्रतिवादियों के वकील।

न्यायधीश राजीव भल्ला,

(1) यह निर्णय *1984* की नियमित द्वितीय अपील संख्या *40 (*मेघ राज और अन्य बनाम मनफूल और अन्य) और *1987* की *2712 (*मारू और अन्य बनाम रत्ती राम और अन्य) का निपटान करेगा, क्योंकि वे कानून के सामान्य प्रश्नों का आह्वान करते हैं।

(2) वर्तमान विवाद को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए तथ्यों का वर्णन करना उचित होगा।

(3) राम रिख, पुत्र श्री भीवान, निवासी ग्राम उमेदपुरा, तहसील और जिला सिरसा ने, ग्राम उमेदपुरा, तहसील और जिला सिरसा में स्थित अपनी कुल भूमि *643* बीघे और *4* बिस्वा का *6/7* हिस्सा हस्तांतरित कर दिया। सिविल सूट नंबर *1019*-ए "रामेश्वर बनाम राम रिख" में *27* अगस्त, *1957* को पारित एक सिविल कोर्ट डिक्री द्वारा उनकी पत्नी, बेटों और पोते (इसके बाद 'जमींदारों' के रूप में संदर्भित) के पक्ष में। पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, *1953 (*बाद में 'पंजाब अधिनियम' के रूप में संदर्भित), जिसने भूमि धारण की सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया, अधिनियमित किया गया। माना जाता है कि, *24* अक्टूबर, *1960* के एक आदेश के अनुसार, पंजाब अधिनियम के तहत अन्य भूमि के साथ वाद भूमि को राम रिख के हाथों में अधिशेष घोषित कर दिया गया था। डिक्री के तहत न तो राम रिख और न ही किसी कथित लाभार्थी ने आदेश को चुनौती दी।

(4) हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, *1972 (*इसके बाद 'हरियाणा अधिनियम' के रूप में संदर्भित), *24* जनवरी, *1971* से लागू हुआ)। इसकी धारा *12(3)* में प्रावधान है कि पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित कोई भी क्षेत्र, जो अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं है, नियत दिन यानी *24* जनवरी 1971 से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा।

(5) इसके बाद, हरियाणा राज्य ने, हरियाणा अधिशेष और अन्य क्षेत्रों का उपयोग योजना, *1976 (*इसके बाद उपयोगिता योजना के रूप में संदर्भित) नामक एक योजना तैयार की। उपयोगिता योजना के तहत निहित शक्तियों के अनुसरण में, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सिरसा ने निर्धारित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक *17* अक्टूबर *1978* आदेश के तहत मौजूदा किरायेदारों (बाद में आवंटियों के रूप में संदर्भित) को डिक्री की भूमि आवंटित की।

(6) राम रिख के उत्तराधिकारियों (बाद में उन्हें भूमि मालिकों के रूप में संदर्भित किया गया है) ने दावा किया कि उन्हें आवंटित संपत्ति प्राप्त हुई थी, 27 अगस्त, 1957 की मिलीभगत वाली डिक्री के अनुसार, उन्होंने दो सिविल मुकदमे दायर किए; सिविल सूट नंबर 24-सी दिनांक 15 जून, 1979 (मेघ राज और अन्य बनाम मनफूल और अन्य) और सिविल सूट नंबर 62-0, दिनांक 15 जून, 1979 (रत्ती राम और अन्य बनाम मारू और अन्य), वैधता पर सवाल उठाते हुए 17 अक्टूबर, 1978 के आवंटन आदेश के अनुसार। उन्होंने दावा किया कि वाद भूमि उन्हें 30 जुलाई, 1958 से पहले हस्तांतरित कर दी गई थी और जैसा कि हरियाणा अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) 30 जुलाई से पहले किए गए भूमि हस्तांतरण को बचाती है। धारा 12(3) के संचालन से, हरियाणा अधिनियम की धारा 12(3) के तहत वाद भूमि हरियाणा राज्य में निहित नहीं हो सकती थी। इसलिए निर्धारित प्राधिकारी के पास आवंटियों को भूमि आवंटित करने का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(7) आवंटियों ने एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें उपरोक्त दावों की सत्यता का विरोध किया गया और अनुरोध किया गया कि निर्धारित प्राधिकारी

द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्जित किया गया था। आगे कहा गया कि चूंकि पंजाब कानून के तहत *24* अक्टूबर, *1960* को भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया था, इसलिए यह हरियाणा अधिनियम की धारा *12 (3)* के प्रावधानों के आधार पर हरियाणा राज्य में निहित हो गई। इसलिए विहित प्राधिकारी ने उचित रूप से किरायेदारों को भूमि आवंटित की।

(8) 15 जून, *1979* के सिविल सूट नंबर *24*-सी को सब जज, तृतीय श्रेणी, सिरसा ने यह कहकर खारिज कर दिया कि सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित था। *1979* का सिविल सूट नंबर *62*-सी, जो सब जज, प्रथम श्रेणी, सिरसा के समक्ष आया था, को यह कहते हुए डिक्री किया गया था कि चूंकि भूमि *30* जुलाई, *1958* से पहले राम रिख द्वारा हस्तांतरित की गई थी, इसलिए यह हरियाणा राज्य में निहित नहीं हो सकती थी। इसलिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था और सिविल न्यायालय मुकदमे पर विचार कर सकते थे।

(9) दुर्भाग्य से, इन निर्णयों और डिक्री की अपीलें विभिन्न प्रथम अपीलीय न्यायालयों के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। इस प्रकार, दोनों अपीलें खारिज कर दी गईं, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां न्यायालयों के एक समूह ने माना कि निर्धारित प्राधिकारी के पास विवादित आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र था, जबकि न्यायालयों के दूसरे समूह ने माना कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था। भूमि मालिक और आवंटी दोनों इस न्यायालय के समक्ष अपील में हैं। आरएसए संख्या *40/1984* भूस्वामियों द्वारा और *2712/2712/1987* आवंटियों द्वारा दायर किया गया।

(10) भूमि मालिकों के वकील का तर्क है कि वाद भूमि आवंटित करने का आदेश दिनांक *1 7* अक्टूबर *1978* अमान्य है। माना जाता है कि राम रिख को *27* अगस्त, *1957* के एक डिक्री का सामना करना पड़ा, जिसमें मुकदमे की भूमि को भूमि मालिकों को हस्तांतरित कर दिया गया। हरियाणा अधिनियम के लागू होने और उसकी धारा *8(1)(*ए) के अधिनियमन के साथ, यह भूमि

विशेष रूप से इसके संचालन से बाहर हो गई और इसलिए धारा ***12(3)*** के तहत हरियाणा के राज्य में निहित नहीं हो सकी। इसलिए निर्धारित प्राधिकारी के पास भूमि को विनियोजित करने और उसे आवंटित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ***15*** जून, ***1979*** के सिविल सूट संख्या ***62***-सी और उससे उत्पन्न अपील में निचली अदालतों ने सही माना कि सिविल सूट वर्जित नहीं था और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए, अन्य सिविल मुकदमे में इसके विपरीत दर्ज किए गए निष्कर्ष गलत हैं। इस प्रस्ताव पर भरोसा करते हुए कि हरियाणा अधिनियम की धारा ***8(1)(***ए) के मद्देनजर, मुकदमे की भूमि हरियाणा राज्य में निहित नहीं हो सकती है, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर आधारित है, जिसे जसवन्त कौर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, ***(1***) के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इस प्रस्ताव के लिए कि सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं है, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम विनोद कुमार और अन्य (***2)*** पर निर्भरता रखी गई है।

(11) दूसरी ओर, आवंटियों के वकील का कहना है कि आवंटी विवादित भूमि पर किरायेदार थे। वाद की भूमि को राम रिख के हाथों अधिशेष घोषित कर दिया गया तथा उनके कब्जे की भूमि को काश्तकार अनुमेय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मुकदमे की भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले आदेश को राम रिख या कथित भूमि मालिकों द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई, चाहे हरियाणा अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में। हरियाणा अधिनियम की धारा ***12(3)*** में प्रावधान है कि पंजाब अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष क्षेत्र, नियत दिन से स्वचालित रूप से हरियाणा राज्य में निहित हो जाएगा। नतीजतन, चूंकि मुकदमे की भूमि वैधानिक रूप से हरियाणा राज्य में निहित हो गई है, निर्धारित प्राधिकारी ने, हरियाणा उपयोगिता योजना के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकार क्षेत्र या कानून की कोई त्रुटि नहीं की है, जैसा कि एक मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निहित होगा। , उस पर चुनौती दे रहा है।

(12) आवंटियों के वकील द्वारा दिया गया एक और दावा यह है कि, हरियाणा अधिनियम की धारा ***26,*** हरियाणा अधिनियम के तहत निर्णय लेने के लिए आवश्यक मामलों पर चुनौती पर विचार करने के लिए एक नागरिक न्यायालय

के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है। निचली अदालत, सिविल सूट नंबर ***62***-सी यूएस क्षेत्र से निकलने वाली कार्यवाही में, जो अंतिम चरण में पहुंच गई थी। आक्षेपित आदेश के विरुद्ध कोई भी शिकायत केवल प्रक्रिया के अनुसार ही उठाई जा सकती थी अर्थात हरियाणा अधिनियम के तहत अपील/संशोधन दायर करना। पंजाब अधिनियम के तहत मुकदमे की भूमि को अधिशेष घोषित करने का आदेश अंतिम रूप ले चुका है क्योंकि न तो राम रिख और न ही भूमि मालिकों ने कभी इसे चुनौती दी। नतीजतन, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देना, जो संक्षेप में अधिशेष क्षेत्र मामले को फिर से खोलना चाहता है, स्वीकार्य नहीं है।

(13) यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि हरियाणा अधिनियम की धारा ***8(1)(***ए) की व्याख्या पंजाब अधिनियम के तहत पारित आदेशों को फिर से खोलने या पूर्ववत करने के लिए नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से जहां ये आदेश अंतिम रूप ले चुके हैं। धारा ***8(1)(***ए) उन मामलों पर लागू हो सकती है, जहां अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही पंजाब अधिनियम के तहत, हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन पर लंबित थी, लेकिन उन परिस्थितियों में लागू होगी जहां पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र की घोषणा की गई थी। अन्तिम रूप प्राप्त कर लिया है। इसलिए, ***1979*** के सिविल सूट नंबर ***62***-सी और उससे उत्पन्न अपील में निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, यह मानते हुए कि भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता था, हरियाणा अधिनियम के तहत राज्य में निहित नहीं थी और इसलिए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से परे था, जो अधिनियम की धारा ***8(***1)(ए) के प्रावधानों की गलत व्याख्या है।

(14) हालाँकि ज़मीन मालिकों के वकील ने कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं और दायर किए हैं, बहस के दौरान, कानून के निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उठे।

"1. क्या 1988 के हरियाणा अधिनियम 34 की धारा 26 एक सिविल न्यायालय को उपरोक्त अधिनियम के तहत एक निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने से रोकती है*?*

2. क्या हरियाणा अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के मद्देनजर, पंजाब अधिनियम के तहत राम रिख के हाथों में अधिशेष घोषित भूमि धारा 12(3) के तहत हरियाणा राज्य में निहित नहीं होगी*?* हरियाणा अधिनियम *?*

3. क्या विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था*?"*

(15) पहला प्रश्न जो निर्णय के योग्य है वह हरियाणा अधिनियम की धारा 26 का दायरा और दायरा है। अधिनियम की धारा 26 इस प्रकार है।

"26. क्षेत्राधिकार की वर्जना (1) किसी भी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित का क्षेत्राधिकार नहीं होगा-

(ए) भूमि के हस्तांतरण के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए मुकदमे पर विचार करना या आगे बढ़ना, जो इस अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करता है*;* या

(बी) किसी भी मामले का निपटारा, निर्णय या निपटारा करना, जिसे इस अधिनियम के तहत वित्तीय आयुक्त, आयुक्त, कलेक्टर या निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निपटान, निर्णय या निपटाया जाना आवश्यक है।

2. इस अधिनियम के तहत या इसके अनुसरण में दिए गए वित्तीय आयुक्त, आयुक्त, कलेक्टर या निर्धारित प्राधिकारी के किसी भी आदेश पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(16) धारा 26 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि हरियाणा अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को वित्तीय आयुक्त, आयुक्त, कलेक्टर या निर्धारित के समक्ष चुनौती देकर निपटाया, तय या निपटाया जाना आवश्यक है। अधिकारिता का विरोध केवल उपरोक्त प्राधिकारियों के समक्ष ही किया जा सकता है। स्वाभाविक परिणाम के रूप में, जहां मामला पूरी तरह से हरियाणा अधिनियम के तहत अधिकारियों को प्रदत्त अपील, समीक्षा और संशोधन की वैधानिक शक्तियों के दायरे में आता है, ऐसे मामले में चुनौती पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्जित किया जाएगा।

(17) सिविल न्यायालय, सी.पी.सी. की धारा 9 से मामलों पर निर्णय लेने के लिए अपना अधिकार क्षेत्र लेते हैं, जो इस प्रकार है।

"9. जब तक वर्जित न हो, अदालतें सभी सिविल मुकदमों की सुनवाई करेंगी - अदालतों को (यहां निहित प्रावधानों के अधीन) उन मुकदमों को छोड़कर, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित है, नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(18) एक सिविल न्यायालय के पास नागरिक प्रकृति के सभी विवादों को निपटाने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है, सिवाय इसके कि जहां उसका संज्ञान स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से वर्जित है। एक सामान्य नियम के रूप में, अदालतें क्षेत्राधिकार से बाहर होने का अनुमान लगाने के लिए अनिच्छुक हैं, लेकिन जहां एक वैधानिक अधिनियम, स्पष्टता या आवश्यक इरादे से, सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है, ऐसे वैधानिक इरादे प्रबल होंगे। हरियाणा अधिनियम की धारा 26, जिसे यहां ऊपर प्रस्तुत किया गया है, किसी

भी मामले पर विचार करने, निपटाने, निर्णय लेने या निपटने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोकती है, जिसे अधिनियम के तहत, वित्तीय आयुक्त द्वारा निपटाने, निर्णय लेने या निपटाने की आवश्यकता होती है। आयुक्त, कलेक्टर या विहित प्राधिकारी। हरियाणा अधिनियम की धारा 18, हरियाणा अधिनियम के तहत एक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का तरीका और तरीका निर्धारित करती है और इस प्रकार है।

"18. अपील, समीक्षा और पुनरीक्षण-(1) निर्धारित प्राधिकारी के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, जो कलेक्टर नहीं है, निर्णय या आदेश की तारीख से (पंद्रह दिन) के भीतर अपील कर सकता है कलेक्टर ऐसे रूप और तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि कलेक्टर उक्त अवधि (पंद्रह दिन) की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) कलेक्टर के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति (चाहे वह निर्धारित प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं) उप-धारा (एल) के तहत अपील में किए गए निर्णय या आदेश से भिन्न हो, तारीख से (पंद्रह दिन) के भीतर निर्णय या आदेश के बारे में, आयुक्त को ऐसे प्रारूप और तरीके से अपील करना पसंद करेंगे जो निर्धारित किया जा सकता है

बशर्ते कि कन्लमिशनर उक्त अवधि (पंद्रह दिन) की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(3) छोड़ा गया।

(4) उप-धारा (एल) के तहत कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से (तीस दिन) के भीतर, आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है ताकि ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती दी जा सके। आदेश और आयुक्त ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। आयुक्त का आदेश अंतिम होगा.

(5) छोड़ा गया।

(6) पूर्वगामी उप-धाराओं में किसी भी बात के बावजूद, वित्तीय आयुक्त किसी भी समय स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश का रिकॉर्ड मांग सकता है। ऐसी कार्यवाही या आदेश और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(7) छोड़ा गया।

(8) धारा 21 में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई व्यक्ति जो अपनी भूमि को अधिशेष क्षेत्र घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण दायर करता है और उसके द्वारा दायर अपील या पुनरीक्षण विफल हो जाता है, वह उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी समय उस अधिशेष घोषित भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है जिसका वह कानून के तहत हकदार है या नहीं था, इस क्षेत्र के संबंध में वसूली योग्य भूमि धारण कर के तीस गुना के बराबर लाइसेंस शुल्क।

(9) छोड़ा गया"।

(19) इस प्रकार, जो मामले वित्तीय आयुक्त, आयुक्त, कलेक्टर या एक निर्धारित प्राधिकारी के विशेष क्षेत्र में आते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना होगा।

(20) हालाँकि, यह प्रश्न ध्यान देने योग्य है कि क्या धारा 26 में स्पष्ट रोक के बावजूद, सिविल न्यायालयों के पास हरियाणा अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश को चुनौती देने का अधिकार क्षेत्र होगा, जो क्षेत्राधिकार से परे या बिना प्रतीत होता है। . इस प्रश्न के उत्तर में हमें और अधिक देरी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जहां विवादित आदेश निरर्थक है या क्षेत्राधिकार के बिना है, धारा 26 द्वारा अधिनियमित वैधानिक रोकें किसी चुनौती पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करेंगी। हरियाणा राज्य बनाम विनोद कुमार (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए इस प्रकार निर्णय दिया।

"हमारी राय में, सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा बनाई गई रोक उन मामलों में लागू नहीं हो सकती है, जहां सिविल न्यायालय के समक्ष उठाई गई याचिका मामले की जड़ तक जाती है और यदि बरकरार रखी जाती है, तो इसका परिणाम होगा। निष्कर्ष यह है कि विवादित आदेश निरर्थक है।"

(21) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहां आक्षेपित आदेश अमान्य है या क्षेत्राधिकार के बिना है, एक सिविल न्यायालय, धारा 26 के तहत अपने क्षेत्राधिकार के निष्कासन के बावजूद, एक मुकदमे पर विचार करने और अपनी राय दर्ज करने का हकदार होगा। आक्षेपित आदेश के विरूद्ध. इसलिए, यह माना जाता है कि हरियाणा अधिनियम के तहत पारित आदेश से उत्पन्न विवाद पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाई जाएगी, जहां विवादित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है या अमान्य है।

(22) अगला प्रश्न, जिसका निर्णय यह निर्धारित करेगा कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 1978 को पारित आदेश क्षेत्राधिकार के साथ था या उसके बिना, हरियाणा अधिनियम की धारा 8 (1)(ए) की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है। धारा 12(3) का आयात। इसलिए उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:

धारा 8.—कुछ स्थानांतरण (या स्वभाव) अधिशेष क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेंगे (एल) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय लागू कानून के तहत या पेप्सू कानून के तहत किरायेदार द्वारा अर्जित भूमि के मामले में बचाएं या पंजाब कानून या विरासत द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा, भूमि का इससे अधिक हस्तांतरण (या निपटान) नहीं किया जा सकता-

(ए) 20 जुलाई 1958 के बाद पेप्सू कानून या पंजाब कानून के तहत अनुमेय क्षेत्र; और

(बी) नियत दिन के बाद वास्तविक हस्तांतरण, (या निपटान) को छोड़कर, इस अधिनियम के तहत अनुमत क्षेत्र।

उपरोक्त अधिनियमों के तहत राज्य सरकार के उस अधिशेष क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करेगा जिस पर वह ऐसे हस्तांतरण (या निपटान) के अलावा हकदार होगी:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने भूमि के ऐसे हस्तांतरण (या निपटान) के तहत लाभ प्राप्त किया है, वह इसे बहाल करने या उस व्यक्ति को इसके लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा, जिससे उसने इसे प्राप्त किया है।

(2) स्थानांतरण (या स्वभाव) को प्रामाणिक साबित करने का भार स्थानांतरण पर होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में नियत दिन के बाद किसी भूमि को स्थानांतरित (या निपटान) करता है, तो इस प्रकार हस्तांतरित (या निपटान) भूमि उसके स्वामित्व या अनुमेय क्षेत्र की गणना में व्यक्ति द्वारा धारित मानी जाएगी। इस प्रकार गणना की गई अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि व्यक्ति का अधिशेष क्षेत्र होगी और यदि इस तरह के हस्तांतरण (या निपटान) के बाद उसके पास बचा हुआ क्षेत्र इस प्रकार गणना किए गए अधिशेष क्षेत्र के बराबर है, तो उसके पास छोड़ा गया पूरा क्षेत्र होगा अधिशेष क्षेत्र माना जाता है। यदि उसके पास छोड़ा गया क्षेत्र इस प्रकार गणना किए गए अधिशेष क्षेत्र से कम है, तो उसके पास छोड़ा गया संपूर्ण क्षेत्र अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा और उसमें कमी की सीमा तक इस प्रकार हस्तांतरित (या निपटाई गई) भूमि भी होगी अधिशेष क्षेत्र माना जाता है। यदि एक से अधिक अंतरिती हैं, तो अधिशेष क्षेत्र की कमी को प्रस्ताव में प्रत्येक अंतरिती से उन्हें हस्तांतरित (या निपटाई गई) भूमि से पूरा किया जाएगा।"

"धारा 12(3) - पंजाब कानून के तहत अधिशेष घोषित क्षेत्र या किरायेदार का अनुमेय क्षेत्र और पेप्सू कानून के तहत अधिशेष घोषित क्षेत्र, जो अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं है, राज्य सरकार में निहित माना जाएगा नियत दिन से प्रभावी और वह क्षेत्र जो नियत दिन के बाद पंजाब कानून या पेप्सू कानून के तहत इस प्रकार घोषित किया जा सकता है, ऐसी घोषणा की तारीख से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा।"

(23) अधिनियम की धारा 8 की प्रकृति और धारा 12(3) के आयात की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ उचित होगा।

(24) राम रिख, पुत्र श्री भीवान, निवासी ग्राम उमेदपुरा, तहसील और जिला सिरसा ने, ग्राम उमेदपुरा, तहसील और जिला सिरसा में स्थित अपनी कुल

भूमि 643 बीघे और 4 बिस्वा का 6/7 हिस्सा हस्तांतरित कर दिया। उनकी पत्नी, बेटों और पोते-पोतियों के पक्ष में, - सिविल सूट नंबर 1019-ए "रामेश्वर वी. राम रिख" में 27 अगस्त, 1957 को पारित एक सिविल कोर्ट डिक्री द्वारा। पंजाब अधिनियम ने भूमि मालिकों की हिस्सेदारी की सीमा पर एक वैधानिक सीमा लागू कर दी। जैसा कि सभी पक्षों ने स्वीकार किया, पंजाब अधिनियम के तहत विवादग्रस्त भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया। इस आदेश को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि न तो राम रिख और न ही भूमि मालिकों या डिक्री के तहत लाभार्थियों ने, हरियाणा अधिनियम के अधिनियमन से पहले या बाद में अधिशेष क्षेत्र की घोषणा को चुनौती दी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान वाद में, वाद भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले आदेश के संबंध में किसी राहत का दावा नहीं किया गया है। एकमात्र राहत की प्रार्थना यह घोषणा करने के लिए की गई है कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध, अशक्त और शून्य है।

(25) 15 जून, 1979 के सिविल सूट नंबर 62-सी में ट्रायल कोर्ट और उससे उत्पन्न पहली अपील में अपीलीय अदालत के पक्ष में जो दलील दी गई, वह यह थी कि मुकदमे की भूमि राम रिख द्वारा हस्तांतरित की गई थी। 30 जुलाई, 1958 से पहले यह हरियाणा अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधानों के तहत हरियाणा राज्य में निहित नहीं था क्योंकि हरियाणा अधिनियम की धारा 8(एल)(ए) ऐसे हस्तांतरणों को बचाती है। परिणामस्वरूप, सूट वाली भूमि हरियाणा उपयोगिता योजना के तहत आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी और विहित प्राधिकारी के पास भूमि को उपयुक्त और आवंटित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(26) दूसरी ओर, 1 5 जून, 1979 के सिविल सूट संख्या 24-सी से उत्पन्न कार्यवाही में, ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय ने इसके विपरीत फैसला सुनाया और मुकदमे को अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया।

(27) मेरी सुविचारित राय में, हरियाणा अधिनियम की धारा को इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है कि पंजाब अधिनियम के तहत पहले से ही अधिशेष घोषित भूमि, हरियाणा अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के प्रावधानों से बच जाएगी। और, इसलिए, अधिनियम की धारा 12(3) के तहत हरियाणा राज्य में निहित नहीं होगा। अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और 12(3) को संयुक्त रूप से पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि धारा 8(1)(ए) अधिशेष क्षेत्र की घोषणा करने वाले आदेशों पर लागू नहीं होती है, जो पंजाब अधिनियम के तहत अंतिम रूप ले चुके हैं। धारा 8(1)(ए) पंजाब अधिनियम के तहत समाप्त की गई कार्यवाही की व्याख्या को स्वीकार नहीं करती है, इसे पूर्ववत किया जाएगा या फिर से खोला जाएगा। मेरी सुविचारित राय में धारा 8(1)(ए), ऐसे मामलों पर लागू हो सकती है, जहां पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र की घोषणा की कार्यवाही, हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन पर लंबित थी। अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के प्रावधानों की कोई अन्य व्याख्या, संक्षेप में उस पर पूर्वव्यापी प्रभाव डालेगी। इसलिए, यह अनिवार्य रूप से मानना होगा कि धारा 8(1)(ए) अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही/आदेशों पर लागू नहीं होती है जो हरियाणा अधिनियम के लागू होने से पहले समाप्त हो चुके हैं/अंतिम हो गए हैं।

(28) जसवन्त कौर बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) मामले में हरियाणा अधिनियम की धारा 8(1)(ए) को दी गई व्याख्या से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। हालाँकि, उक्त निर्णय जमींदारों के वकील द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन करता है कि हरियाणा अधिनियम की धारा पंजाब अधिनियम के तहत पहले ही समाप्त हो चुके अधिशेष क्षेत्र के मामलों को फिर से खोल देती है। वास्तव में, हरियाणा अधिनियम की धारा 12(3) की शक्तियों को बरकरार रखते हुए, पूर्ण पीठ ने माना कि पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित भूमि नियत दिन पर स्वचालित रूप से हरियाणा राज्य में निहित हो जाएगी।

(29) माना जाता है कि वर्तमान मामले में, वाद भूमि को 24 अक्टूबर, 1960 को पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था। उक्त आदेश अंतिम रूप ले चुका है। हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन पर वाद भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। इसलिए, हरियाणा अधिनियम की

धारा 8(1)(ए) लागू नहीं थी। इस निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भगवंती देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (3) के फैसले का संदर्भ देना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया।

"हालांकि, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पंजाब कानून के तहत घोषित अधिशेष क्षेत्र को फिर से खोला जाना चाहिए और 1972 के हरियाणा अधिनियम के तहत पुनर्गणना की जानी चाहिए। 1972 के अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। हालांकि अपीलकर्ताओं का परिवार बढ़ गया है और कुछ नाबालिग हो गए हैं प्रमुख, अपीलकर्ता उस अधिशेष क्षेत्र को पाने के हकदार नहीं हैं जो 1972 के हरियाणा अधिनियम के तहत पुनर्गणना के लिए अंतिम रूप से फिर से खोला गया था, इस प्रकार विचार करने पर, हम पाते हैं कि रिट याचिकाओं को खारिज करने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से उचित था। इसलिए, अपील खारिज कर दी जाती है , लेकिन बिना लागत के,"

(30) अमर सिंह और अन्य बनाम अजमेर सिंह और अन्य (4) में, हरियाणा अधिनियम के लागू होने के बाद, पंजाब अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष क्षेत्र को फिर से खोलने के सवाल पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा

"अजमेर सिंह-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि यद्यपि मारू राम के खिलाफ अधिशेष कार्यवाही को वर्ष 1961/1962 में अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन अधिशेष भूमि का कब्ज़ा 1981 तक अजमेर सिंह-प्रतिवादी के पास रहा, जब तक कि उसे अपीलकर्ता को सौंप नहीं दिया गया। सिर्फ इसलिए कि पंजाब अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष भूमि का उपयोग नहीं किया गया और यह अजमेर सिंह-प्रतिवादी के कब्जे में रही, इससे जहां तक कानून की स्थिति का सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारा 12(3) की भाषा स्पष्ट है और इसके अनुसार पंजाब अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष भूमि राज्य में निहित थी। निहित होने की तारीख (23 दिसंबर, 1972) तक अधिशेष भूमि का

उपयोग न करने का कोई परिणाम नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विचार है भगवंती देवी बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले का समर्थन किया गया है।' हरियाणा राज्य, 1994 पीएलजे 245 एससी। इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं, 23 सितंबर, 1987 के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आक्षेपित फैसले और 3 नवंबर, 1987 के लेटर पेटेंट बेंच के आदेश को भी रद्द कर देते हैं। सिविल उच्च न्यायालय में अजमेर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 163/1986 को खारिज कर दिया गया है। अपीलकर्ता अपनी लागत का हकदार होगा जिसे हम रुपये के रूप में निर्धारित करते हैं। प्रतिवादी-अजमेर सिंह द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत।"

(31) धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (5) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए और धारा 8(1)(ए) और 12(3) के प्रावधानों पर विचार करने के बाद हरियाणा अधिनियम में कहा गया है कि पंजाब अधिनियम के तहत जो कार्यवाही अंतिम चरण में पहुंच गई है, उसे हरियाणा अधिनियम का लाभ उठाकर दोबारा नहीं खोला जा सकता है। इसलिए, हरियाणा अधिनियम की धारा 8(एल)(ए), किसी भूमि मालिक को पंजाब अधिनियम के तहत पारित अधिशेष क्षेत्र के आदेश को फिर से खोलने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार नहीं देगी।

(32) चूंकि वाद भूमि हरियाणा अधिनियम के तहत नियत दिन पर पहले से ही अधिशेष थी, यह हरियाणा अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत हरियाणा राज्य में निहित हो गई, जो पंजाब कानून के तहत उस भूमि को अधिशेष घोषित करती है, जो कि जो अब तक राज्य सरकार में निहित नहीं है, वह नियत दिन से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि वाद भूमि पंजाब के संयुक्त राज्य में निहित नहीं थी, लेकिन चूंकि इसे पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था, यह हरियाणा अधिनियम के अधिनियमन के साथ, हरियाणा अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधान से हरियाणा राज्य में निहित हो गई। अन्यथा भी, यह दोहराना आवश्यक होगा कि न तो राम रिख और न ही किसी भूस्वामी ने मुकदमे की भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले आदेश की सत्यता पर कभी सवाल उठाया।

(33) इस प्रकार, चूंकि पंजाब अधिनियम के तहत वाद भूमि को अधिशेष घोषित करने का आदेश अंतिम रूप ले चुका था और वाद भूमि हरियाणा राज्य में निहित हो गई, यह उपयोगिता योजना के तहत आवंटन के लिए उपलब्ध हो गई। इसलिए, निर्धारित प्राधिकारी, भूमि आवंटित करने की कार्यवाही में, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर था। इसलिए, विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश कानूनी और वैध है और क्षेत्राधिकार की किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

(34) यहां ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देने वाले मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हरियाणा अधिनियम की धारा ***26*** के प्रावधानों द्वारा वर्जित किया गया था। इस प्रकार, कानून के दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है।

(35) इसलिए, यह स्पष्ट है कि ***1979*** के सिविल सूट संख्या ***62***-सी की डिक्री और ***1985*** की सिविल अपील संख्या ***54*** को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था, ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी क्षेत्राधिकार और कानून की त्रुटि की। फलस्वरूप आर.एस.ए. ***1987*** के ***2712*** की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, ***1984*** के आरएसए नंबर ***40*** को खारिज कर दिया गया है और ***15*** जून, ***1979*** के सिविल सूट नंबर ***24***-सी में निर्णय सहायता डिक्री पारित की गई है, जिसमें सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोककर मुकदमे को खारिज कर दिया गया है और ***17*** सितंबर, ***1983*** तारीख का फैसला और डिक्री को सिविल अपील संख्या ***421***-सी दिनांक ***8*** दिसंबर, ***1981*** में पारित कर भूस्वामियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।

(36) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।[1]

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा

---

[1](1) 1977 पी.एल.जे.-230

(2) 1986 पी.एल.जे.-161

(3) 1994 पी.एल.जे.-245

(4) 1994 सप्प. (3)एस.सी.सी.-213

(5) 2002 (1) पी.डब्लू-188